# घरेलू चेक/लिखतों के संग्रहण संबंधी नीति 2024-27

## 1. प्रस्तावना

यह नीति ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों और स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखत संग्रहण और इससे संबंधित मुद्दों पर ग्राहकों के अधिकारों को भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है।

## 1.1 नीति के उद्देश्य

बैंक की यह संग्रहण नीति अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और इस संबंध में कार्यनिष्पादन हेतु उच्च मानक स्थापित करने के हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। यह नीति ग्राहकों के साथ संव्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। अपने ग्राहकों को त्वरित संग्रह सेवाएं प्रदान करने के लिए शाखाएं तकनीकी के बढ़ते प्रयोग के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस नीति  दस्तावेजों में निम्नलिखित व्यापक पहलू शामिल हैं:

- भारत में स्थित केंद्रों पर स्थानीय रूप से देय चेक और अन्य लिखतों (त्वरित समाशोधन सहित) की उगाही।
- चेकों का तत्काल जमा (तत्काल जमा  सुविधा)।
- लिखतों की उगाही के लिए समय मानदंडों के संबंध में बैंक की  प्रतिबद्धता ।
- ऐसे मामलों में ब्याज का भुगतान जहाँ बैंक बाहरी लिखतों की उगाही के लिए समय मानदंडों को पूरा करने में  असफल हो।
- पारगमन में खोये हुए लिखतों के संग्रहण से निपटना ।
- बार-बार चेक का अस्वीकृत होना ।
- समाशोधन स्थगन के दौरान सुधारात्मक उपाय ।

## 1.2 चेक ट्रंकेशन प्रणाली के लिए राष्ट्रीय ग्रिड

आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीपीएसएस (चेन्नई) परिपत्र सं./एस210/01.02.003/2022-23 दिनांक 09/02/2023 एवं डीईएल.डीपीएसएस सं. 01.03.003/2022-23 दिनांक 22/02/2023 के माध्यम से तीन क्षेत्रीय ग्रिडों की वर्तमान संरचना से सीटीएस को एकल राष्ट्रीय ग्रिड में विलय कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय ग्रिड के प्रबंधन और निरीक्षण के लिए नोडल क्षेत्रीय कार्यालय है।

राष्ट्रीय ग्रिड के अंतर्गत आने वाले सभी केन्द्रों को एकल समाशोधन क्षेत्र माना जाएगा तथा इन केन्द्रों पर आहरित तथा किसी भी ग्रिड केन्द्र पर प्रस्तुत किए गए चेकों को स्थानीय रूप से आहरित चेक माना जाएगा, क्योंकि ऐसे चेकों पर कोई समाशोधन प्रभार लागू नहीं होगा।

## 2. संग्रहण की व्यवस्था:

### 2.1. चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा

ग्राहकों के लिए ड्रॉप बॉक्स सुविधा और नियमित कलेक्शन काउंटरों पर चेक पावती की सुविधा दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और यदि ग्राहक काउंटरों पर चेक जमा करता है तो कोई भी शाखा पावती देने से मना नहीं कर सकती ।

शाखाएं यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को चेक को ड्रॉप-बॉक्स में डालने के लिए बाध्य न किया जाए । इसके अलावा ,इस संबंध में ग्राहक जागरूकता के लिए, शाखाएं हमेशा चेक ड्रॉप-बॉक्स पर ऐसा लिखा हुआ प्रदर्शित करें कि" ग्राहक काउंटर पर भी चेक जमा कर सकते हैं और पे-इन-स्लिप पर पावती ले सकते हैं"। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त संदेश को अंग्रेजी ,हिंदी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा में प्रदर्शित किया जाए।

शाखाओं को यह भी निदेश दिया जाता है कि वे प्रत्येक बार बॉक्स खोले जाने पर लिखतों की संख्या का लेखा-जोखा रखने के लिए त्रुटि-रहित व्यवस्था करें, ताकि कोई विवाद न हो और ग्राहकों के हितों से समझौता न हो।

चेक ड्रॉप बॉक्स को इस तरह से तैयार और परिचालित किया जाये जिससे अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी ड्रॉप बॉक्स से चेक न ले सके।

चेक ड्रॉप बॉक्स हमेशा बंद रखें।

### 2.2 स्थानीय चेक

सभी **सीटीएस कमप्लायंट** चेक और स्थानीय रूप से देय अन्य परक्राम्य लिखत केंद्र में प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। विनिर्दिष्ट निर्धारित समय से पहले शाखा काउंटरों और शाखा परिसर के भीतर कलेक्शन बक्से में जमा किए गए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए भेजे जाएंगे। निर्धारित समय के बाद जमा किए गए चेक और ऑन-साइट एटीएम सहित शाखा परिसर के बाहर कलेक्शन बॉक्स में जमा किए चेक अगले समाशोधन आवर्तन में भेजे जाएंगे। बैंक नीति के तहत ,शाखाएं समाशोधन प्रक्रिया के बाद तुरंत ग्राहक के खाते में उसी दिन धन राशि जमा कर देंगी। इस प्रकार जमा राशि की निकासी समाशोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) से चेक वापसी शेड्यूल के अनुसार हो सकेगी। जहां कहीं प्रयोज्य हो, ग्राहकों को उच्च मूल्य समाशोधन (उसी दिन क्रेडिट) की सुविधा प्रदान की जाएगी।

यूको बैंक की सीबीएस शाखाओं पर आहरित चेक उसी दिन ग्राहक के खाते में जमा कर दिए जाएंगे।मियादी ऋण सहित ऋणों और अग्रिम खातों में जमा किए गए चेक के संबंध में प्रोडक्ट पर ब्याज लगाने हेतु परिगणना के प्रयोजनार्थ, उसी दिन या दूसरे दिन वैल्यू डेट क्रेडिट कर दी जाएगी (अर्थात जिस दिन बैंक का आरबीआई /एसबीआई से समाशोधन निपटान हुआ हो, जो उस जगह पर हुए समाशोधन आवर्तन पर निर्भर करता है ) ताकि ग्राहक अपने जमा खाते में नामे की गई राशि पर एक साथ ब्याज लाभ उठा सकें । नीचे दिए गए पैरा 2.5 के अनुसार तत्काल जमा के मामले में और दूसरे या तीसरे दिन या उससे पहले धन निकासी को प्रभावी होने से पूर्व निकासी के रूप में मान लिया जाएगा और खाते में निकासी और वास्तव में जमा होने के बीच के दिनों के लिए लागू ब्याज लगाया जाएगा।

जिन केंद्रों पर कोई समाशोधन गृह नहीं है, वहां स्थित बैंक शाखाएं अदाकर्ता बैंकों के काउंटर पर ही स्थानीय चेक प्रस्तुत करेंगी और बैंक का प्रयास होगा कि आगम को जल्द से जल्द जमा कर दिया जाए ।

निर्धारित समय तक प्राप्त चेक उसी दिन स्थानीय समाशोधन गृह को भेजे जाएंगे। निर्धारित समय का प्रदर्शन प्रत्येक शाखा द्वारा अपने काउंटरों पर और शाखा परिसर में रखे ड्रॉप बॉक्स पर भी किया जाएगा। उच्च मूल्य समाशोधन तथा आयकर आदि जैसे सरकारी खातों में जमा के लिए शाखाओं द्वारा इसी प्रकार का निर्धारित समय नोटिस प्रदर्शित करना आवश्यक है।

**2.3 बाहरी चेक**

'एक राष्ट्र एक ग्रिड' व्यवस्था लागू होने पर सभी केंद्रों को एक समाशोधन क्षेत्र माना जाएगा। इसलिए, स्पीड क्लियरिंग सिस्टम नहीं होगा और संग्रह के लिए जमा किए गए सभी बाहरी चेक स्थानीय समाशोधन में प्रस्तुत किए गए माने जाएंगे।

**2.4 पोजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस)**

चेक भुगतान में ग्राहकों की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए तथा चेक के पन्नों से छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए, रुपये 50,000 और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पोसिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत ,चेक जारी करते समय ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अदाकर्ता बैंक द्वारा भुगतान के लिए चेक को संसाधित( प्रोसेज) किया जाएगा।

**2.4. 1** पोसिटिव पे सिस्टम की अवधारणा में बड़े मूल्य के चेकों के प्रमुख ब्यौरों की फिर से पुष्टि करने की प्रक्रिया शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत चेक जारीकर्ता एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि जैसे चैनलों के माध्यम से या शाखा के माध्यम से उस चेक के कुछ न्यूनतम ब्यौरों (जैसे तिथि, लाभार्थी/ प्राप्तकर्ता का नाम, राशि आदि) अदाकर्ता बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजता है जिसके ब्यौरे सीटीएस द्वारा प्रस्तुत चेक से क्रॉस चेक किया जाता है। सीटीएस द्वारा कोई भी विसंगति पाए जाने पर अदाकर्ता बैंक और प्रस्तुतकर्ता बैंक को सूचित किया जाता है , जिससे सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकें।

**2.4.2** पीपीएस को एनपीसीआई द्वारा विकसित करके बैंक को उपलब्ध कराया गया है। यह उन सभी खाताधारकों के लिए उपलब्ध है जो रु.50000 और उससे अधिक की राशि के चेक जारी करते हैं। रु. 50000 या इससे अधिक की चेक की राशि से मिलने वाली इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के स्वविवेक पर निर्भर है । हालांकि, बैंक ने रु.5,00,000 और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर दिया है।

**2.4.3** केवल वही चेक सीटीएस ग्रिड में विवाद समाधान प्रक्रिया के तहत स्वीकार किए जाएंगे जो अंक 2.4.1 और 2.4.2 में उल्लिखितअनुदेशों का अनुपालन करते हों । ग्राहकों के बीच एसएमएस अलर्ट ,शाखाओं , एटीएम के साथ-साथ अपनी वेब साइट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पॉजिटिव पे सिस्टम की खास बातों के बारे में शाखा में जानकारी उपलब्ध कराते हुए बैंक पर्याप्त जागरूकता सुनिश्चित करें ।

**2.5 चेकों/ लिखतों का तत्काल जमा**

बैंक की शाखाएं/विस्तार पटल पर वैयक्तिक खाताधारकों द्वारा उगाही के लिए जमा किए गए लिए रु. 15000/- (बैंक/शाखाओं पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/ब्याज/लाभांश वारंट के संबंध में तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा जारी चेक के संबंध में रु.25000/- तक) के चेकों/लिखतों को तत्काल जमा करेंगी बशर्ते ऐसे खातों को कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए संतोषजनक ढंग से परिचालित किया गया हो । ग्राहक के अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार ऐसे संग्रहित लिखतों के एवज में तत्काल जमा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। स्थानीय चेक के संबंध में तत्काल जमा की सुविधा उन केंद्रों पर भी उपलब्ध होगी जहाँ कोई औपचारिक समाशोधन गृह मौजूद न हो ।

तत्काल जमा की सुविधा केवल वैयक्तिक खाताधारकों के लिए उपलब्ध होगी जो ग्राहकों के बचत बैंक/चालू/नकदी अग्रिम खातों में मुहैया कराई जाएगी । इस सुविधा के विस्तार के लिए खाते में न्यूनतम शेष राशि होने की अलग से कोई बाध्यता नहीं होगी । इसके अलावा, बाहरी/स्थानीय चेकों को तत्काल जमा करने के प्रयोजनार्थ अलग भुगतान पर्ची (पे-इन-स्लिप) (डीएस-2ए) का उपयोग किया जा सकता है ।

### 2.5.1 बिना भुगतान के लौटाए गए चेकों पर प्रभार लगाया जाना, जहां तत्काल जमा सुविधा दी गई थी

यदि कोई चेक उगाही के लिए भेजा जाता है, जिसके लिए बैंक द्वारा तत्काल जमा सुविधा दी गयी थी और जिसे बिना भुगतान किए वापस कर दिया जाता है ,तो चेक की राशी खाते से तुरंत नामे कर दी जाएगी । ग्राहक से चेक वापसी की उस तारीख तक कोई ब्याज तब तक नही लिया जाएगा, जब तक कि निधियों के आहरण के चलते उस खाते में बैंक की निधियां खत्म हो गई हों। जहां प्रयोज्य हो, ऐसे खाते में, जहां शुरू में जमा न किया गया हो, वहां आनुमानिक अतिदेय ( नोशनल ओवरड्रान बैंलेंस) शेष खाते पर ब्याज लगाया जाएगा ।

जब चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है और यदि चेक की आगम राशि बचत बैंक खाते में जमा कर दी गई हो और निकाली न गई हो, ऐसी जमा राशि ब्याज भुगतान के लिए योग्य नहीं होगी । यदि आगमों को ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा कर दिया गया हो तो ओवरड्राफ्ट/ऋण पर लागू ब्याज दर से अधिक 2% की वार्षिक दर से ब्याज की वसूली की जाएगी, ऐसे ओवरड्राफ्ट/ऋण खातों पर लागू ब्याज दर जमा होने की तारीख से प्रत्यावर्तन ( रिवर्सन ) की तिथि तक दिया जाएगा बशर्ते कि बैंक में निधियां न होने की सीमा तक चेक/ लिखत बिना भुगतान के लौटा दिया गया हो।

### 2.5.2 संतोषजनक ढंग से परिचालित खाता -

क) यह कम से कम 6 माह पहले खुला हुआ हो और केवाईसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो।

ख) खाते का संचालन संतोषजनक ढंग से हो रहा है और शाखा ने कोई अनियमित लेन देन नहीं पाया है।

ग) जहां कोई भी चेक जिसके लिए तत्काल जमा सुविधा वाला व्यवस्था नहीं की गई थी, वित्तीय कारणों से बिना भुगतान के वापस कर दिया गया हो ।

घ) तत्काल जमा करने के बाद लौटाए गए चेक सहित पूर्व में दी गई किसी भी राशि की वसूली में शाखा को कोई कठिनाई नहीं हुई है ।

ऐसे सभी चेकों की कुल राशि जो खाते में जमा हो जाती है लेकिन वसूल नहीं की जाती है ,तत्काल जमा करने के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में ,खाते में जमा किए गए अप्राप्त चेकों के संबंध में बैंक का कुल एक्सपोजर अधिकतम सीमा (जैसा भी मामला हो, रु.15,000 से रु. 25,000 तक, जैसा कि खंड 2.5 में निर्दिष्ट है) से अधिक नहीं होना चाहिए ।

संग्रहण हेतु प्रस्तुत बाहरी लिखतों के एवज में तत्काल क्रेडिट मुहैया कराते समय शाखा वसूली के लिए लागू न तो सामान्य संग्रहण प्रभार लेगा और न ही सेवा प्रभार के रूप में आउट ऑफ पॉकेट प्रभार लगाएगा । इसके अलावा, चेक क्रय के लिए लागू विनिमय शुल्क नहीं लिया जाएगा।

## 2.6 चेकों की खरीद

खरीद हेतु प्राप्त स्थानीय चेकों के लिए तत्काल जमा (निर्धारित नीति के अनुसार रु.15,000/ - से रु.25000/- की अधिकतम राशि तक) सुविधा प्रदान करने के लिए प्रति लिखत रु.50/- का समान सेवा शुल्क लगाया जाएगा ।

### 2.6.1. समाशोधन के  निलंबन के दौरान चेक ,ड्राफ्ट आदि की खरीद

कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जब समाशोधन गृह  परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया हो और हालात संबंधित अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर हो। ऐसे निलंबन से ग्राहकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे उन लोगों की अपेक्षा जिनके पास उनका खाता हो, अन्य स्थानीय बैंकों से प्राप्त चेक ,ड्राफ्ट आदि के आगमों  को तुरंत प्राप्त करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। जहां तक संभव हो, ऐसी आकस्मिक स्थितियों के दौरान, ग्राहकों को होने वाली असुविधा और कठिनाई को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय अपनाने चाहिए एवं साथ-में अच्छी ग्राहक सेवा भी  बनाए रखना चाहिए।

इस प्रकार, जब कभी समाशोधन  निलंबित हो जाए और यह आशंका हो कि निलंबन लंबे समय तक रह सकता है,  तो जहाँ तक संभव हो, शाखाएं, उधारकर्ताओं एवं जमाकर्ताओं दोनों के खातों में वसूली के लिए जमा स्थानीय चेक, ड्राफ्ट आदि खरीदकर अस्थायी रूप से समायोजित कर सकती हैं। सरकारी विभागों/अच्छी प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आहरित चेकों के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाए, साथ-साथ स्थानीय बैंकों पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाए । इस सुविधा को उपलब्ध कराते समय शाखाएं नि:संदेह अपनी साख, ईमानदारी, पिछला लेन देन और ग्राहकों के पेशे आदि बातों को ध्यान में रखेंगी, ताकि बाद में ऐसे लिखतों के अस्वीकृत होने की किसी भी संभावना को रोका जा सके। समाशोधन गृह परिचालन  निलंबन के समय स्थानीय चेकों की खरीद  सीमा जमा के मौजूदा प्रावधान के अनुसार  अर्थात 15000/25000  रुपये तक हो ।

### 2.7. आदाता खाता चेक की उगाही  – तृतीय पक्ष के खाते में आगम जमा करने की मनाही

क) इस संबंध में विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, शाखाओं को 'आदाता खाता' चेक को उसमें नामित आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करने से प्रतिबंधित किया गया है। तदनुसार, शाखाओं को आदाता घटक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदाता खाता चेक एकत्र नहीं करना चाहिए।

जब आहरणकर्ता/आदाता बैंक को अनुदेश दें कि वह वसूली से प्राप्त आय को आदाता के खाते के अलावा किसी अन्य खाते में जमा करें, तो यह अनुदेश 'आदाता भुगतान' चेक' में निहित इरादों के विपरीत है, अतएव बैंक आहरणकर्ता/आदाता को पूछे कि वह आहरणकर्ता द्वारा आहरित चेक पर या  आदाता खाते से राशि वापस ले लें। ये निदेश किसी अन्य बैंक को देय बैंक द्वारा आहरित चेक के संबंध में भी लागू होंगे।

ख) भुगतान सिस्टम के नजरिए से चेक वसूली की सुविधा के लिए अपने ग्राहकों के खाते में जमा करने के लिए, उप-सदस्य के पास जमा आदाता चेक समाशोधन गृह के सदस्य बैंक (प्रायोजक सदस्य के रूप में संदर्भित) द्वारा संगृहीत किए जा सकते हैं । ऐसी व्यवस्था के तहत ,इस बावत स्पष्ट वचनबद्धता ले ली जाए कि आदाता चेक वसूली होने पर प्राप्त आगमों को केवल आदाता के खाते में ही जमा किया जाएगा ।

ग) सहकारी क्रेडिट समितियों के सदस्यों को खाता आदाता ( एकाउंट पेयी ) चेकों के संग्रहण में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के मद्देनजर ,यह स्पष्ट किया जाता है कि वसूलीकर्ता बैंक खाते में रु.50,000-/तक की राशि के आहरित आदाता चेक खाते से वसूली पर तभी विचार कर सकते हैं ,जहां ऐसे ग्राहक सहकारी ऋण समितियाँ हैं, बशर्ते  ऐसे चेक के आदाता सहकारी क्रेडिट समितियों के ग्राहक हों । पूर्वोक्त  चेकों की उगाही  करते समय ,बैंकों को संबंधित सहकारी ऋण समितियों द्वारा लिखित रूप में स्पष्ट अधिदेश लें ताकि , उगाही  होने पर ,चेक की आय केवल उसी सहकारी क्रेडिट  सोसाइटी के सदस्य के खाते में जमा होगी, जब आदाता का नाम चेक में दर्ज हो । हालाँकि, यह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 131 में दिए गए प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन होगा।

घ) उपरोक्त अनुदेश ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी लागू होंगे ।

### 3. चेकों/ लिखतों के उगाही हेतु समय सीमा :

जमा और नामे उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा समाशोधन में जमा होने के अगले दिन कर दिया जाएगा । (अर्थात ,शाखाएँ ग्राहक के खाते में उसी दिन जमा करेगा जिस दिन समाशोधन निपटान होगा । इस तरह जमा राशि के आहरण की अनुमति केंद्रीय समाशोधन गृह की चेक वापसी अनुसूची के अनुसार दी जाएगी )।

### 4. चेकों की विलंबित उगाही के लिए ब्याज का भुगतान

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के भाग के अनुसार जमा करने में उल्लिखित समय अवधि से अधिक देरी होने पर शाखाएँ अपने ग्राहक को संगृहीत लिखतों की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा। सभी प्रकार के खातों में ऐसे ब्याज का भुगतान ग्राहकों द्वारा बिना किसी मांग के किया जाएगा। विलंबित उगाही पर ब्याज भुगतान के प्रयोजनार्थ बैंक अपनी शाखाओं पर आहरित या अन्य बैंक पर आहरित लिखतों में कोई अंतर नहीं करेगा। विलंबित वसूली पर ब्याज भुगतान के प्रयोजनार्थ किसी अन्य बैंक में उगाही के लिए भेजे गए लिखत के आगमों के जमा में देरी होने पर ,और यदि देरी के लिए भुगतान करने वाला बैंक जिम्मेदार है ,तो ग्राहक को संबंधित शाखा द्वारा मुआवजा दिया जाएगा और भुगतान करने वाले बैंक के साथ मुआवजे का निपटान किया जाएगा। (आईबीए के संसूचना संवाद संख्या सीई/आरबी/बीसीएसबीआई-एमसीपी/6272 दिनांक 17 जुलाई, 2012 के अनुसार)

### 4.1 विलंबित उगाही के लिए ब्याज का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा।

3 कार्य दिवसों से अधिक विलंबित अवधि के लिए बचत बैंक ब्याज दर पर मुआवजा देय होगा।

जहां लिखतों की उगाही के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद 14 दिनों से अधिक का विलंब होता है, वहां संबंधित अवधि के लिए सावधि जमा के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

असाधारण देरी के मामले में, यानी लिखतों की उगाही के लिए समय सीमा के बाद 90 दिनों से अधिक की देरी वाले मामले में, संबंधित सावधि जमा दरों आदि पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

यदि उगाही के अधीन चेक की राशि ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा की जानी है, तो शाखाएं उगाही के लिए आवश्यक सामान्य अवधि को ध्यान में रखते हुए आय को वेल्युडेट करेंगी।

स्थानीय चेक (समाशोधन) के मामले में, शाखा संबंधित वापसी समाशोधन समापन के तुरंत बाद ग्राहकों के खाते में दर्ज कल्पित जमा के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए और ,निकासी की अनुमति उसी दिन या सामान्य सुरक्षा उपायों के अधीन, अगले कार्य दिवस पर कारोबार शुरू होने के अधिकतम एक घंटे के भीतर दे दी जाएगी ।

ब्याज का भुगतान तभी किया जाएगा जब ऐसी राशि 10 रुपये या उससे अधिक होगी।

यह नोट करें कि उपर्युक्त ब्याज का भुगतान केवल <u>भारत के भीतर उगाही के लिए भेजे गए लिखतों पर लागू होगा और संबंधित ग्राहक द्वारा बिना मांगे</u> भुगतान किया जाएगा ।

### 4.2 तकनीकी रूप से लौटाए गए चेकों को पुन: प्रस्तुत करने में विलम्ब और ऐसी वापसी के लिए प्रभार लगाना

इस संबंध में नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, शाखाओं को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा:

क) चेक वापसी शुल्क केवल उन मामलों में लगाया जाएगा जहां ग्राहक की गलती है और ग्राहक ऐसी वापसी के लिए जिम्मेदार हो । ये दृष्टांत भर है, संपूर्ण नही, वापसी की सूची जहां ग्राहक की गलती नहीं हैं ,अनुबंध। में दर्शाया गया है।

ख) ऐसे चेक, जिसे बिना किसी आश्रय के आदाता को फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है , उसे 24 घंटे के भीतर तत्काल पुन :प्रस्तुत करना होगा। ( छुट्टियों को छोड़कर) इस तरह की पुन: प्रस्तुति की जानकारी एसएमएस अलर्ट, ई मेल आदि के जरिए ग्राहकों को दी जाएगी ।

5. **मार्ग में/समशोधन प्रक्रिया या भुगतानकर्ता शाखा में चेक/लिखत खोने पर**

उगाही के लिए स्वीकृत चेक/लिखत का मार्ग में/ समाशोधन प्रक्रिया/भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खो जाने की स्थिति में, शाखा को जैसे ही खोने की जानकारी प्राप्त होगी, वह खाताधारक को इसकी सूचना शीघ्र प्रदान करेगा ताकि खाताधारक आहर्ता को भुगतान रोकने के सम्बंध में सूचना प्रदान कर सके और यह भी सुनिश्चित कर सके कि उसके द्वारा जारी कोई चेक खोए गए चेक/लिखत की राशि का क्रेडिट नहीं होने के कारण अस्वीकृत न हो। ऐसे सभी मामलों में, शाखाएं ग्राहक को चेक जारीकर्ता से चेक की डुप्लिकेट प्रति प्राप्त करने में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेंगी।

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के तहत शाखा मार्ग में लिखत के खो जाने के सम्बंध में निम्नलिखित तरीकों से खाता धारक को क्षतिपूर्ति करेगा:

क) यदि लिखत खो जाने की सूचना ग्राहक को समाहरण के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद दी जाती है तो, निर्धारित समय सीमा से अधिक की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान उपर्युक्त पैरा 4.1 निर्दिष्ट दर के अनुसार किया जाएगा।

ख) इसके अतिरिक्त, शाखा चेक की राशि पर 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बचत बैंक दर पर ब्याज प्रदान करेगा। यह ब्याज दूसरी चेक/लिखत प्राप्त करने में होने वाली देरी के लिए प्रदान की जाएगी।

ग) रोको आदेश दर्ज कराने या दूसरी लिखत/चेक प्राप्त करने के लिए देय शुल्क, अगर यह लिखत किसी बैंक या संस्था से प्राप्त करनी है जो दूसरी लिखत जारी करने के लिए शुल्क लेता है तो इसमें हुए उचित खर्चों की क्षतिपूर्ति शाखा द्वारा रसीद प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी ।

घ) मार्ग में चेक खोने या बैंक द्वारा भुनाने के पश्चात खोने की सूचना प्राप्त होने के बाद खाताधारक को अधिकतम 14 दिनों के भीतर दूसरी चेक/लिखत प्राप्त करने की व्यवस्था करनी होगी यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर दूसरी चेक/लिखत की व्यवस्था ग्राहक द्वारा नहीं की जाती है तो खोए हुए चेक की राशि को वापस ले लिया जाएगा;, अगर यह पहले ही बैंक द्वारा भुनाई गई है और खाताधारक के खाते में जमा की गई है।

ङ) इस प्रकार की क्षति का दायित्व वसूलीकर्ता बैंक पर होगा न कि खाताधारक पर।

च) यदि चेक/लिखत भुगतानकर्ता शाखा द्वारा खो दी जाती है तो, वसूलीकर्ता बैंकर को यह अधिकार होगा कि वह चेक/लिखत के खो जाने पर ग्राहक को दी गई क्षतिपूर्ति राशि को वह भुगतानकर्ता बैंक से वसूल करेगा।

**6. अस्वीकृत चेकों की वापसी / प्रेषण की प्रक्रिया**

I. भुगतान करने वाले बैंक को बैंकरों के समाशोधन गृहों के लिए एक समान विनियमों और नियमों के संदर्भ में संबंधित समाशोधन गृह के लिए निर्धारित रिटर्न अनुशासन के अनुसार समाशोधन गृहों के

माध्यम से प्रस्तुत अस्वीकृत चेक वापस करना चाहिए। ऐसे अस्वीकृत चेक प्राप्त होने पर वसूलीकर्ता बैंक को किसी भी परिस्थिति में 24 घंटे के भीतर भुगतानकर्ताओं/धारकों को तुरंत भेजना चाहिए।

II. उस बैंक के साथ दो खातों के बीच हस्तांतरण के माध्यम से लेनदेन के निपटान के लिए भुगतान करने वाले बैंक को सीधे प्रस्तुत किए गए चेक के मामले में, इसे भुगतान करने वालों/धारकों को ऐसे अस्वीकृत चेक तुरंत वापस कर देना चाहिए।

III. सभी खातों के मामले में धन की कमी के लिए अस्वीकृत चेक को एक ज्ञापन के साथ वापस किया जाना चाहिए जिसमें "अपर्याप्त धन" के रूप में अस्वीकरण का कारण दर्शाया गया हो।"

IV. चेक के अस्वीकृत/वापसी के मामले में, भुगतान करने वाले बैंकों को वापसी मेमो/ आपत्ति पर्ची पर वापस कारण कोड को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए, जिसमें बैंकर्स क्लियरिंग हाउस (यूआरआरबीसीएच) के लिए समान नियमों/विनियमों के नियम 6 में यथा के अनुसार निर्धारित अधिकारियों के हस्ताक्षर / आद्यक्षर भी होना चाहिए।

**6.1 अस्वीकृत चेकों की सूचना**

1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए प्रत्येक अस्वीकृत चेक के संबंध में डेटा घटकों पर बैंक के एमआईएस का हिस्सा होगा और संबंधित शाखाएं मासिक आधार पर अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसे डेटा की रिपोर्ट करेंगी। अंचल कार्यालय, बदले में, समेकित करेंगे और इसे प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग को प्रस्तुत करेंगे। स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में आहरित और अस्वीकृत चेक के संबंध में डेटा को शाखा द्वारा अलग से समेकित किया जाना चाहिए, भले ही ब्रोकर संस्थाओं से संबंधित उनके एमआईएस के हिस्से के रूप में ऐसे चेक का मूल्य कुछ भी हो, और मासिक आधार पर उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया जाना चाहिए। अंचल कार्यालय, बदले में, हर महीने प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग को इस जानकारी को समेकित और प्रस्तुत करेंगे।

**6.2 चेक के बार-बार अस्वीकृत होने की घटनाओं से निपटना**

क) ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लागू करने की दृष्टि से, चेक सुविधा वाले खातों के संचालन के लिए एक शर्त बनाई जानी चाहिए कि वित्तीय वर्ष के दौरान चार बार आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते में पर्याप्त धन के अभाव में एक करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के चेक के अस्वीकृत होने की स्थिति में खाते में, कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। साथ ही, बैंक ग्राहक को उचित नोटिस देने के बाद अपने विवेक से खाता बंद कर देगा। हालांकि, अग्रिम खातों जैसे नकदी ऋण खाता, ओवरड्राफ्ट खाता के संबंध में, इन ऋण सुविधाओं को जारी रखने या अन्यथा की आवश्यकता और इन खातों से संबंधित चेक सुविधा की समीक्षा स्वीकृति प्राधिकारी से अधिक के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

1 करोड़ रुपये से कम की राशि के चेक के लिए, शाखाएं एक और मौका देंगी अर्थात आहरणकर्ता/खाताधारक को सूचना के तहत अपर्याप्त निधि के कारण एक वित्तीय वर्ष में चेक के अस्वीकृत की घटनाओं के पांच अवसर और उसके बाद उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है।

ख) मौजूदा खातों के संचालन के संबंध में ऊपर (ए) में उल्लिखित शर्तों की शुरूआत के प्रयोजनों के लिए, शाखाएं नई चेक बुक जारी करने के समय नई शर्त के घटकों को निदेश देते हुए चेक बुक के कवर पर एक रबर स्टैम्प लगाएंगी।

ग) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी चेक को आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते में तीसरी बार अस्वीकृत किया जाता है, तो शाखा संबंधित घटक को एक चेतावनी/पत्र जारी करेगी, जिसमें उपरोक्त शर्त पर उसका ध्यान आकर्षित किया जाएगा और चेक सुविधा रोक दी जाएगी। 1 करोड़ रुपये के चेक और उससे अधिक चौथी बार अस्वीकृत किए जाने और वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही खाते में 1 करोड़ रुपये से कम के चेक के, पांचवी बार अस्वीकार किए जाने के मामले में यदि बैंक खाता बंद करना चाहता है तो इसी तरह की चेतावनी सूचना/पत्र जारी किया जाएगा।

### 7. चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर चेक का भुगतान जारी होने की तारीख से तीन माह से अधिक

1 अप्रैल, 2012 से, बैंक ने उस तारीख या किसी भी बाद की तारीख वाले चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक का भुगतान न करने की नीति अपनाई है, यदि ऐसे लिखत की तारीख से तीन महीने की अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाता है। शाखाओं को चेक के पत्तों, ड्राफ्टों, भुगतान आदेशों और बैंकर के चेक पर मुद्रण या मुहर लगाकर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए जो ऐसे उपकरणों के धारकों को लिखत की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए एक उपयुक्त निदेश है।

### 8. सीटीएस ग्रिड के तहत चेक समाशोधन - वसूलीकर्ता बैंकर की जिम्मेदारी

शाखाएं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 131 के संशोधन को नोट करें, स्पष्टीकरण-II जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए, "यह बैंकर का कर्तव्य होगा जो अपने पास रखे गए एक कटे हुए चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि के आधार पर भुगतान प्राप्त करता है, चेक की प्रथम दृष्टया वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए खंडित करने के और किसी भी धोखाधड़ी, जालसाजी या लिखत पर जिसे किए गए छेड़छाड़ को सत्यापित करने के लिए सम्यक तत्परता और सामान्य देखभाल के साथ सत्यापित किया जा सकता है"।

### 9. सामान्य:

किसी न्यायालय, उपभोक्ता फोरम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अस्वीकृत चेक से संबंधित किसी भी कार्यवाही में शिकायतकर्ता (यानी, अस्वीकृत चेक का आदाता/धारक) की ओर से चेक के अस्वीकृति के तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य जोड़ने के उद्देश्य से, शाखाएं पूर्ण सहयोग देंगी, और उसे चेक के अस्वीकृति के तथ्य का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगी।

### 10. ग्राहक शिकायत निवारण

चेकों के संग्रहण संबंधी समय सीमा, इसमें हुई देरी हेतू अतिरिक्त ब्याज- मुआवजा, पारगमन में खोए हुए चेक/उपकरण आदि से संबंधित शिकायतों का निवारण नीति के आधार पर किया जाएगा।

### 11. अप्रत्याशित घटना

कोई अनपेक्षित घटना (जिसमें शामिल है पर पूर्ण नहीं; असैनिक गतिरोध, तोड-फोड़, तालाबंदी, हड़ताल या मजदूर संबंधी अन्य उपद्रव, दुर्घटना, आगजनी, आपदा या अन्य दैविक आपदा, युद्ध, बैंक सुविधा या इसके अभिकर्ता बैंक की क्षति, यातायात के सामान्य साधनों की अनुपस्थिति इत्यादि) जो बैंक के नियंत्रण में नहीं है और यह वर्गीकृत सेवा सुपुर्दगी मानदंड के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करने में बाधक है तो बैंक देरी से होने वाले क्रेडिट के लिए ग्राहक को क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करेगा।

### 12. सेवा शुल्क

सभी संग्रह सेवाओं के लिए, शाखाएं समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए उचित सेवा शुल्क की वसूली करेंगी और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित ग्राहक को सूचित करेंगी।

**13. डिमांड ड्राफ्ट पर क्रेता के नाम को शामिल किया जाना**

जारीकर्ता शाखा द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक आदि के उपर क्रेता का नाम शामिल किया जाएगा।

**14. विविध**

I. शाखाएं अपने ग्राहकों द्वारा संग्रह के लिए जमा किए गए बाहरी चेक को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेंगी।

II. शाखाएं अपनी शाखाओं में नोटिस बोर्ड पर बोल्ड और दृश्य शब्दों में प्रमुख विशेषताओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करके चेक कलेक्शन पॉलिसी (सीसीपी) का व्यापक प्रचार करेंगी।

III. यदि ग्राहक को आवश्यकता है तो शाखा प्रबंधक द्वारा पूर्ण सीसीपी की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

IV. गलत खाता नंबर वाले पे-इन स्लिप के साथ जमा चेक के मामले में शाखा बैंक 48 घंटों के भीतर स्लिप पर लिखे पते पर ग्राहकों को चेक वापस कर देगी। हालांकि अपूर्ण पता, अधूरे फोन नंबर, पेस्लिप पर बिना फोन नंबर वाले मामलों में शाखा इन लिखतों को अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए रखने के लिए जिम्मेदार होगी।

V. अदत्त प्राप्त चेक को 48 घंटे के अंदर बैंक के डेटाबेस में दर्ज पते पर डाक/कुरियर के द्वारा ग्राहक को वापस कर दिया जाएगा। हालांकि, ग्राहक के अनुरोध करने पर इसे काउंटर पर वापस करने के लिए लिखत को शाखा में रखा जाएगा। अगर 15 दिनों की भीतर इसका संग्रहण नहीं किया जाता है तो इसे दर्ज पते पर डाक या कुरियर के माध्यम से वापस भेजना है।

VI. चेक से संबंधित धोखाधड़ी के मामले - निवारक उपाय:

शाखाओं को यह सुनिश्चित करना है कि चेकों को समाशोधन में भेजने, चेक पास करते समय खातों की निगरानी आदि में संबंधित अधिकारियों द्वारा निवारक उपायों सहित सभी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है।

- 100% सीटीएस-2010 अनुपालन चेक का उपयोग सुनिश्चित करना।
- सीटीएस आधारित समाशोधन के लिए तैनात उपकरणों और कर्मियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए शाखाओं / सेवा शाखाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ताकि यह केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया न हो।
- यह सुनिश्चित करना कि लाभार्थी केवाईसी के अनुरूप है ताकि जब तक वह बैंक का ग्राहक बना रहे, बैंक उसकी मदद कर पाए।
- सभी चेकों के लिए यूवी लैंप के तहत परीक्षण।
- 1 लाख रुपये से अधिक के चेकों का कई स्तरों पर जांच (ऐसे चेक की जांच एक से अधिक स्तरों पर की जानी चाहिए)।
- जोखिम वर्गीकरण के आधार पर नए खोले गए खातों में क्रेडिट और डेबिट की गहन निगरानी।
- समाशोधन में चेक प्राप्त होने पर भुगतानकर्ता/आहरणकर्ता को एसएमएस अलर्ट भेजना।
- नए खोले गए खातों में 25,000/- रुपये से अधिक और मौजूदा खातों में 1,00,000/- रुपये से अधिक के चेक के संग्रह हेतु आधार शाखा से लिखित रूप में केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

- संदिग्ध या बड़े मूल्य के चेकों के मामले में बाहरी चेक के मामले में आधार शाखा से संपर्क करना और फोन कॉल द्वारा ग्राहक को सतर्क करना और भुगतानकर्ता / आहर्ता से पुष्टि प्राप्त करना।
- चेक के संचालन के दौरान तथा ग्राहकों द्वारा संग्रह बॉक्स में गिराए गए चेक की उचित देखभाल और सुरक्षित हैंडलिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।

**15. अन्य नीति संबंधी मुद्दे [सामान्य]**

क) इस दस्तावेज़ में निर्धारित नीतियों को आरबीआई के किसी भी अनिवार्य निर्देश या इस संबंध में भारत सरकार द्वारा सलाह दी गई किसी भी नीति परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए संशोधित किया जाएगा। बोर्ड को ऐसे परिवर्तनों से अवगत कराया जाएगा।

ख) इस नीति में उल्लिखित मानदंडों से किसी भी विचलन / छूट की अनुमति केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी और इस नीति के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी एमडी एवं सीईओ / कार्यपालक निदेशक होंगे।

ग) यदि इस नीति/निर्देशों के अमल और/या व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो स्पष्टीकरण के लिए एमडी एवं सीईओ/कार्यपालक निदेशक को एक संदर्भ दिया जाएगा और संदर्भित मामले को उनके निर्णय के अनुसार निपटाया जाएगा।

घ) यदि कोई ऐसी स्थिति या समस्या उत्पन्न होती है जिसे इन नीति/निर्देशों द्वारा कवर नहीं किया गया है, तो एमडी एवं सीईओ/कार्यपालक निदेशक को एक संदर्भ दिया जाएगा और स्थिति/समस्या को उनके निर्णय के अनुसार निपटाया जाएगा।

ङ) यदि किसी विशेष स्थिति में इस नीति/निर्देशों के प्रगोग से किसी उद्देश्य और भावना की पूर्ति नहीं होती है, तो मामले को एमडी एवं सीईओ/कार्यपालक निदेशक को भेजा जाएगा और संदर्भित मामले को उनके निर्णय के अनुसार निपटाया जाएगा।

**................ x ...........**

**उदाहरणस्वरूप सूची, जो व्यापक नहीं है, जहां ग्राहकों की कोई गलती नहीं है**

(लिखत और इमेज-आधारित चेक समाशोधन के लिए लागू जैसा कि बैंकर्स क्लियरिंग हाउस के लिए एक समान नियमों और नियमों के अनुबंध-घ में वर्णित है)

| कोड नं. | चेक वापसी के कारण |
|---|---|
| 33 | लिखत कटा-फटा है; बैंक की गारंटी अपेक्षित है |
| 35 | समाशोधन गृह की मुहर/तारीख अपेक्षित है |
| 36 | गलत प्रकार से सुपुर्दगी की गई /हम पर आहरित नहीं है |
| 37 | उपयुक्त ज़ोन में प्रस्तुत करें |
| 38 | लिखत में असंगत तथ्य लिखी गई है |
| 39 | छवि स्पष्ट नहीं है, कागजात के साथ पुन: प्रस्तुत करें |
| 40 | दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करें |
| 41 | मद को दो बार सूचीबद्ध किया गया है |
| 42 | कागजात प्राप्त नहीं हुआ |
| 60 | दो बैंकों पर रेखांकित है |
| 61 | रेखांकन स्टांप रद्द नहीं किया है |
| 62 | समाशोधन मुहर रद्द नहीं की गई है |
| 63 | लिखत को विशेष रूप से अन्य बैंक को रेखांकित किया गया हैं |
| 67 | आदाता का पृष्ठांकन अनियमित है/ उगाहिकर्ता बैंक की पुष्टि आवश्यक है |
| 68 | मार्क/अंगूठे के निशान द्वारा पृष्ठांकन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा मुहर के साथ सत्यापन |
| 70 | एडवाइस प्राप्त नहीं हुई |
| 71 | एडवाइस पर राशि/नाम भिन्न है |
| 72 | प्रायोजक बैंक के पास आहर्ता बैंक की निधि अपर्याप्त (उप-सदस्यों पर लागू) |
| 73 | आदाता का बैंक को अलग से डिस्चार्ज आवश्यक |
| 74 | अगले माह तक देय नहीं |
| 75 | भुगतान-आदेश के लिए प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता है |
| 76 | आवश्यक जानकारी पठनीय/सही नहीं है |
| 80 | बैंक का प्रमाणपत्र अस्पष्ट/अपूर्ण/अनिवार्य |
| 81 | जारी करने वाले कार्यालय द्वारा ड्राफ्ट खो दिया गया; जारी करने वाले कार्यालय से पुष्टि |
| 82 | बैंक/शाखा अवरुद् |
| 83 | डिजिटल प्रमाणपत्र सत्यापन विफलता |
| 84 | अन्य कारण- कनेक्टिविटी विफलता |
| 87 | "आदाता के खाते में जमा"- स्टाम्प आवश्यक |
| 92 | बैंक अपवर्जित |